

न्यायालय-सिविल न्यायाधीश वर्ग-2, आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)  
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

व्यवहार वाद क0-20ए/2016  
संस्थापित दिनांक-13.06.2016  
फाईलिंग नं. 233504000242016

गणपत पिता ढीमर, उम्र 72 वर्ष, जाति पवार,  
 नि0ग्राम रिघोरा, तहसील मुलताई,  
 जिला बैतूल म0प्र0।

-----वादी

-:: विरुद्ध ::-

1. राधे पिता सुन्दर पवार, उम्र 47 वर्ष,  
नि0ग्राम रिघोरा, तह0 मुलताई, जिला बैतूल म.प्र.।
2. गुड्डू उर्फ कैलाश पिता सुन्दर, उम्र 32 वर्ष,  
नि0ग्राम रिघोरा, तह0 मुलताई, जिला बैतूल म.प्र.।
3. श्रीमती रामरति पति नेपा, उम्र 55 वर्ष,  
नि0 पारबिरोली, पो0 खैरवानी, तह0 मुलताई, जिला बैतूल।
4. श्रीमती लल्ली पति दिलीप, उम्र 32 वर्ष, जाति पवार,  
नि0ग्राम रिघोरा, तह0 मुलताई, जिला बैतूल म.प्र.।
5. श्रीमती परबत पति रेवाजी, उम्र 50 वर्ष,  
नि0 अम्बाड़ा, तह0 मोर्शी, जिला अमरावती, (महाराष्ट्र)
6. गुलाबराव वल्द काल्या पवार,
7. टआरी वल्द काल्या पवार,
8. मुनिया पिता काल्या पवार,
9. चैती बेवा गोपाल पवार,
10. मंगी वल्द गोपाल पवार,
11. मुन्ना वल्द गोपाल पवार,
12. फुला पिता गोपाल पवार,
13. कला पिता गोपाल पवार,  
क्रं. 6 से 13 नि0ग्राम रिघोरा, तह0 मुलताई,  
जिला बैतूल म.प्र.।
14. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, बैतूल जिला बैतूल म0प्र0।

-----प्रतिवादीगण

**-:आदेश:-****(आज दिनांक-24/10/16 को पारित)**

1- इस आदेश द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन आदेश-39, नियम-1 व 2 का निराकरण किया जा रहा है।

2- वादी का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी की खानदानी भूमि मौजा तरोड़ा बुजुर्ग, तहसील आमला, जिला बैतूल के राजस्व खाते में शामिल शरीक रूप से दर्ज चली आ रही है जो भूमि खसरा नं0 350 रकबा 0.518, खसरा नं0 359 रकबा 1.825, खसरा नं0 361 रकबा 2.428, खसरा नं. 362 रकबा 0.101 कुल खसरा नं. 4 रकबा 4.872 की भूमि भूमिस्वामी गनपत वल्द ढीमर, परबत बेवा भिल्लू, रंजन, राधे, गुड्डू वल्द धन्नु, लल्ली, रामरती वल्द धन्नु के नाम से चली आ रही है, वादी एवं प्रतिवादीगण की भूमि मौजा तरोड़ा बुजुर्ग में वर्ष 1987-88 की खानदानी भूमि खसरा नं. 350 रकबा 0.518, खसरा नं. 359 रकबा 1.825, खसरा नं. 361 रकबा 2.428, खसरा नं. 362 रकबा 0.101, खसरा नं. 367 रकबा 3.120, खसरा नं. 368 रकबा 0.194, खसरा नं. 370 रकबा 0.395 कुल खसरा नं. 7 रकबा 8.581 हे0 है। उपरोक्त दर्शित कृषि भूमियों के अलावा वादी एवं प्रतिवादीगण की खानदानी कृषि भूमि मौजा तरोड़ा बुजुर्ग में स्थित है। खसरा नं. 151 रकबा 0.564, खसरा नं. 352 रकबा 1.360, खसरा नं0 353 रकबा 0.648, खसरा नं. 355 रकबा 0.478, खसरा नं. 358 खसरा नं. 3.371, खसरा नं. 360 रकबा 2.383, खसरा नं. 363 रकबा 0.154 कुल खसरा नं. 7 रकबा 8.958 है।

3- वादी ने अपने आवेदन में बताया है कि उपरोक्त शामिल शरीक भूमि में से उसके हक की भूमि मौजा तरोड़ा बुजुर्ग की भूमि भिल्लू की पत्नी रुखमनी उर्फ सकराई पति भिल्लू एवं भिल्लू के पुत्र परबत पिता भिल्लू द्वारा बैनामा दिनांक 09/06/1998 से पृथक-पृथक तीन बैनामा के द्वारा क्रमशः धन्नु वल्द कालू को 376 रकबा 3.120 हे0 में से 0.775 टटारी, गुलाब वल्द काल्या को खसरा नं0 367 रकबा 3.120 हे0 में से 0.775 हे0 तथा ख0नं0 368 का पूर्ण रकबा 0.194 हे0 कुल रकबा 0.969 हे0 तथा बाजीलाल मुन्नालाल वल्द गोपाल को ख0नं0 370 रकबा 0.295 हे0 भूमि विक्रय पत्र के अनुसार विक्रय कर अपना हक समाप्त कर चुके है तथा वर्तमान रिकार्ड में प्रतिवादी का बरायेनाम नाम दर्ज है। जिसका बटवारा करने हेतु प्रतिवादीगण ने तहसीलदार न्यायालय में आवेदन पेश किया था।

4- वादी ने अपने आवेदन में बताया है कि प्रतिवादीगण द्वारा चालाकी पूर्वक राजस्व अधिकारियों से सांठ-गांठ कर 1/2 का आदेश पारित करवा लिया है, जो भूमि प्रतिवादी को दी उसमें वादी कब्जे में है तथा उसे भूमि वादी को दी उसमें प्रतिवादीगण का कब्जा है तथा जो भूमि डूब में चली गई उसका मुआवजा प्रतिवादीगण ले चुके है। उसकी भूमि वादी के नाम दर्ज कर खाते को बराबर किया गया है तथा दिनांक 09/06/98 को खसरा नं. 367 में से 0.275 हे0 खसरा नं.

368 का पूर्ण रकबा 0.994 हे0 सह-खातेदार पर्वत तथा उसकी माता सकराई ने टटारी, गुलाब वल्द कल्या नि0 रिधोरा वाले को तथा बैनामा दिनांक 09/06/1998 को खसरा नं. 370 में से 0.295 बाजीलाल मुन्नालाल वल्द गोपाल नि0 रिधोरा तथा सकराई एवं पर्वत ने ही उसी दिनांक 09/06/1998 को खसरा नं. 367 रकबा 0.775 हे0 भूमि धन्नु वल्द कालू निवासी रिधोरा को विक्रय कर दी है।

5- वादी ने अपने आवेदन में बताया है कि इस प्रकार प्रतिवादीगण की माता एवं भाई ने उसके हक की भूमि का विक्रय कर उसका हक समाप्त कर लिया। डूब की भूमि का भी 1/2 हिस्से का मुआवजा ले लिया फिर तहसीलदार आमला द्वारा प्रतिवादीगण के अंश की भूमि जो अलग-अलग तीन रजिस्ट्री द्वारा कुल 1.539 हे0 भूमि कम नहीं कर वादी के बराबर का हिस्सा प्रतिवादीगण को दे दिया है। खसरा नं 361 रकबा 2.428 हे0 भूमि राजस्व अभिलेख में वादी के नाम पर दर्ज है। किन्तु प्रारंभ से ही कब्जा प्रतिवादी गुलाबराव एवं टटारी वगैरह का चला आ रहा है। इसी प्रकार खसरा नं 360 रकबा 2.383 भूमि राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण कये नाम दर्ज है। किन्तु प्रारंभ से कब्जा वादी का चला आ रहा हैं जिसमें भी राजस्व अभिलेख वादी एवं प्रतिवादीगण के अनुसार दुरुस्त किये जाने हेतु राजस्व नयायालय को आदेशित किया जावे।

6- वादी ने अपने आवेदन में बताया है कि इस प्रकार मूल पुरुष दमडू से प्राप्त सम्पत्ति में वादी को 1/2 अंश प्राप्त है तथा प्रतिवादी के पिता भिल्लू का 1/2 अंश जिसमें भिल्लू की पत्नी एवं बच्चे द्वारा प्रथक-प्रथक तीन रजिस्ट्री द्वारा जमीन विक्रय कर चुके है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रकरण के अंतिम निराकरण तक वादी के खानदानी भूमि में 1/2 अंश एवं हक एवं कब्जे की खानदानी भूमि वादपत्र की कंडिका 1 में वर्णित कुल खसरा 7 कुल रकबा 8.581 पर स्वयं अथवा किसी अन्य के माध्यम से हस्तक्षेप न करें ना करवाएं। तहसीलदार आमला द्वारा बटवारा आदेश दिनांक 06/02/15 के अनुसार उसके नाम की जमीन का किसी अन्य को विक्रय व हस्तांतरण न करें।

7- प्रतिवादीगण की ओर से वादी के आवेदन का जवाब पेश कर विरोध प्रगट किया है और समस्त अभिवचनों को अस्वीकार कर अपने जवाब में व्यक्त किया है कि कंडिका 9 में जिन व्यक्तियों को जमीन बेचना बताया है वह जमीन पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए बेची रही होगी और उन विक्रय पत्रों में वादी की सहमति ली गई होगी, तब तो वादी दिनांक 09/06/1998 से अभी तक मौन रहा है। वादी स्वयं ने उसके वंश वृक्ष में उसकी बहन झगोबाई पति रामजी नि0 पार बिरोली का जिक्र नहीं किया और ना उसे दावे में उचित व आवश्यक पक्षकार होने के नाते पक्षकार नहीं बनाया है। सबब आवश्यक पक्षकार के अभाव में दावा चलने योग्य नहीं है। इसी प्रकार वादी ने प्रतिवादी कं 1 से 4 जो कि सुंदरबाई के लड़के लड़कियाँ है, को पक्षकार बनाया है परंतु सुंदरबाई के पति धन्नु पिता कालू

को पक्षकार नहीं बनाया है। इस प्रकार भी दावा प्रचलन योग्य नहीं है।

8— प्रतिवादीगण ने आगे जवाब में व्यक्त किया है कि प्रतिवादीगण के पूर्वज दमडू और उसके भाई सुखया दोनों के द्वारा दिनांक 05/02/1944 को पंजीकृत बक्शीशनामों से पुराना खसरा नं. 247/3, 248, 262, नया खसरा नं. 360, 352, 355, रकबा क्रमशः 5.86, 3.36, 1.18 कुल रकबा 10.40 एकड़ को उसकी बहन सुखी बाई पति सुखराम गाडरे, जाति पंवार, नि० रिधोरा को कर भौतिक कब्जा सौंप दिया गया था जो कब्जे में रहकर कास्त करती थी। उसके उत्तराधिकारीगण प्रतिवादी क्रं 6 से 13 तक जो जमीन के कब्जे में इस कारण प्रतिवादी क्रं 6 से 13 के पूर्व मूल स्वामी सुखीबाई को जमीन दमडू और सुखया के द्वारा बक्शीश कर दी गई थी। वह वादी की खानदानी जमीन नहीं रही। दमडू और सुखया वादी गणपत के दादा लोग थे जिसमें से सुखया पिता नानू लॉ औलाद फौत हुये है। दमडू और सुखया के द्वारा किया गया बक्शीशनामा दिनांक 05/02/1944 का दमडू के समस्त वारसानों पर बंधनकारक है।

9— वादी ने वाद पत्र में उसके द्वारा बेची गई जमीनों का कोई जिक्र नहीं किया। जैसा कि उपर बताया गया है। खसरा नं. 360 जिसका पुराना नं. 247/3 रकबा 5.86 एकड़ है बक्शीशनामा दिनांक 5/2/1944 सुखीबाई का था जिसके दो लड़के कल्या और गोपाल है। कल्या की मृत्यु के बाद उसके वारसान प्रतिवादी क्रं 6 से 8 है और गोपाल की मृत्यु के बाद उसके वारसान प्रतिवादी क्रं 9 से 13 है जो कब्जे में है। इस प्रकार खसरा नं. 360 पर वादी का कभी कब्जा नहीं रहा है। राजस्व अभिलेख दुरुस्ती किए जाने का आदेश इस न्यायालय नहीं दिये जा सकते क्योंकि राजस्व न्यायालय व्यवहार न्यायालय के अधिनस्थ नहीं है। जमीन परिवार की आवश्यकता के लिए बेची गई थी। बिक्री राशि वादी ने भी प्राप्त की थी। वादी ने आवश्यक पक्षकार न बनाते हुये दावा एवं आवेदन पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है। वंश वृक्ष भी अधूरा बताया है। दमडू और सुखया ने उसकी बहन सुखीबाई को बक्शीशनामों से जमीन बक्शीश की थी जिसे वादी ने छिपा लिया है। इस प्रकार सही स्थिति आवेदक ने सामने नहीं लाई है। भिल्लू की पत्नी और बच्चे के द्वारा कोई उसके अंश की जमीन नहीं बेची है। वादी को कोई अपूर्णीय क्षति होने की संभावना नहीं है ना ही वादी का प्रथम दृष्टया वाद है ना ही सुविधा संतुलन वादी के पक्ष में है। इस प्रकार प्रतिवादीगण ने वादी का आवेदन निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

10— अस्थाई निषेधाज्ञा के निराकरण के आवेदन में निम्नलिखित 3 बिन्दु मुख्य रूप से विचारणीय है:-

1. क्या प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है ?
3. क्या यदि वादी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान न की गई तो

उन्हें अपूर्णीय क्षति होगी?

**प्रथम दृष्टया मामला**

11— वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया है कि प्रकरण के अंतिम निराकरण तक वादी की खानदानी भूमि मौजा तरोड़ा बुर्जुग तहसील आमला में स्थित भूमि जो दमडू द्वारा प्राप्त हुई है उसकी संपूर्ण भूमि में से 1/2 अंश एवं हक तथा कब्जे की खानदानी भूमि जो वादपत्र कंडिका 1 में वर्णित कुल खसरा नं. 7 रकबा 8.851 पर स्वयं अथवा किसी अन्य के माध्यम से हस्तक्षेप न करें न ही करावे। तथा तहसीलदार आमला द्वारा आदेश दिनांक 06/02/15 के अनुसार उसके नाम की जमीन का किसी अन्य को विक्रय अथवा हस्तांतरण न करें। उक्त आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा के निराकरण के लिए सर्वप्रथम यह देखा जाना होगा कि क्या वादी का विवादित भूमि पर हित व कब्जा है।

12— वादी ने अपने आवेदन में बताया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की वर्ष 1987-88 की खानदानी भूमि मौजा तरोड़ा बुर्जुग तहसील आमला, जिला बैतूल में स्थित भूमि खसरा नं. 350 रकबा 0.518, खसरा नं. 359 रकबा 1.825, खसरा नं. 361 रकबा 2.428, खसरा नं. 362 रकबा 0.101, खसरा नं. 367 रकबा 3.120, खसरा नं. 368 रकबा 0.194, खसरा नं. 370 रकबा 0.395 कुल खसरा नं. 7 रकबा 8.581 हे0 है। उपरोक्त दर्शित कृषि भूमियों के अलावा वादी एवं प्रतिवादीगण की खानदानी कृषि भूमि मौजा तरोड़ा बुर्जुग में स्थित है। खसरा नं. 151 रकबा 0.564, खसरा नं. 352 रकबा 1.360, खसरा नं. 353 रकबा 0.648, खसरा नं. 355 रकबा 0.478, खसरा नं. 358 खसरा नं. 3.371, खसरा नं. 360 रकबा 2.383, खसरा नं. 363 रकबा 0.154 कुल खसरा नं. 7 रकबा 8.958 है। इसके विपरित प्रतिवादीगण ने उक्त विवादित भूमि को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया है कि उक्त भूमि खानदानी भूमि तथा शामिल सरीक भूमि दर्ज चली आ रही है। इस प्रकार वादी के आवेदन के अभिवचन एवं प्रतिवादी के जवाब से यह स्पष्ट नहीं है कि विवादित भूमि खानदानी भूमि है। खानदानी भूमि होने के संबंध में वादी की ओर से कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए हैं।

13— वादी ने अपने समर्थन में नगरी तथा नगरोत्तर क्षेत्र का अधिकार अभिलेख खसरा नं. 361/1 रकबा 2.146, खसरा नं. 362 रकबा 0.101 कुल रकबा 2.247 भूमि स्वामी एवं पट्टेदार के रूप में वादी गणपत के नाम का उल्लेख है। खसरा नं. 350 रकबा 0.518, खसरा नं. 359 रकबा 1.825, खसरा नं. 361 रकबा 2.428, खसरा नं. 362 रकबा 0.101 वादी गणपत वल्द ढीमर, पर्वत वल्द भिल्लु, रंजन राधे गुड्डू वल्द धन्नू लल्ली, रामरति पिता धन्नू भूमि स्वामी के रूप में नाम उल्लेख है, का नक्शा प्रस्तुत किया है जिसमें खसरा नं. 350 में उक्त वादी एवं

प्रतिवादीगण का नाम का उल्लेख है। किशतबंदी खतौनी वर्ष 2013-14, खसरा नं. 367/1 रकबा 2.345 में वादी गणपत वल्द ढीमर, पर्वत वल्द भिल्लु, रंजन, राधे गुड्डू वल्द धन्नू लल्ली, रामरति पिता धन्नू भूमि स्वामी के रूप में नाम उल्लेख है। खसरा 267/1 रकबा 2.345 वर्ष 2014 में वादी गणपत वल्द ढीमर, पर्वत वल्द भिल्लु, रंजन, राधे गुड्डू वल्द धन्नू लल्ली, रामरति पिता धन्नू भूमि स्वामी के रूप में नाम उल्लेख है। किशतबंदी खतौनी वर्ष 2013-14 में खसरा नं. 350 रकबा 0.518, खसरा नं. 359 रकबा 1.825 खसरा नं. 361 रकबा 2.428 खसरा नं. 362 रकबा 0.101 वादी गणपत वल्द ढीमर, पर्वत वल्द भिल्लु, रंजना राधे गुड्डू वल्द धन्नू लल्ली, रामरति पिता धन्नू भूमि स्वामी के रूप में नाम उल्लेख है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण का नाम सह-खातेदार के रूप में नाम उल्लेख है।

14- वादी ने अपने समर्थन में किशतबंदी खतौनी वर्ष 2015-16 प्रस्तुत किया है जिसमें खसरा नं. 350 रकबा 0.518, खसरा नं. 361 रकबा 2.146 खसरा नं. 362 रकबा 0.101 वादी गणपत का नाम भूमि स्वामी एवं शासकीय पट्टेदार के रूप में नाम उल्लेख है। किशतबंदी खतौनी वर्ष 2015-16 में खसरा नं. 359 रकबा 1.825 खसरा नं. 361/2 रकबा 0.282 कुल रकबा 2.107 प्रतिवादी राधे, गुड्डू वल्द धन्नू लल्ली, रामरति पिता धन्नू का नाम भूमि स्वामी के रूप में नाम उल्लेख है। इस प्रकार उक्त दस्तावेज से यही स्पष्ट है कि वादी एवं प्रतिवादी का बटवारा हो चुका है। स्वयं वादी ने भी अपने वाद पत्र में भी व्यक्त किया है कि तहसीलदार आमला के द्वारा बटवारा कर दिया गया है। उक्त बटवारा विधि संगत किया गया है या नहीं यह उभय पक्षों की साक्ष्य होने के पश्चात् ही स्पष्ट हो पायेगा। किन्तु तहसीलदार आमला के द्वारा किए गए आदेश को यह न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है वह संबंधित न्यायालय के वरिष्ठ न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकता है।

15- प्रतिवादीगण ने अपने समर्थन में रजिस्टर्ड बक्शीशनामा प्रस्तुत किया है जिसमें सुखिया को उसके पिता दमडू ने खसरा नं 347/3 रकबा 5.86 खसरा नं. 248 रकबा 3.36 खसरा नं. 262 रकबा 1.18 कुल रकबा 10.44 है। अधिकार अभिलेख वर्ष 1962-63 का प्रस्तुत किया है जिसमें पुराना खसरा नं. 351 का नया खसरा नं. 250 रकबा 1.32/0.534, पुराना खसरा नं. 352 का नया खसरा नं. 248 रकबा 3.36/1.360, पुराना खसरा नं. 353 का नया खसरा नं. 249/1 रकबा 1.60/0.648, पुराना खसरा नं 355 का नया खसरा नं. 362 रकबा 1.362/ 0.478, पुराना खसरा नं. 358 का नया खसरा नं. 242 रकबा 8.33/3.371, पुराना खसरा नं. 360 का नया खसरा नं. 247/2 रकबा 5.89/2.383, पुराना खसरा नं. 363 का नया खसरा नं. 246/2 रकबा 0.38/0.154 भूमि स्वामी एवं शासकीय पट्टेदार के रूप में कल्या, सखाराम, गोपाल पिता सखाराम के नाम का उल्लेख है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09/06/1978 जिसमें खरीदार बाजीलाल, मुन्नालाल बेचने वाली श्रीमति सकराई श्रीमति पर्वत के द्वारा खसरा नं. 370 रकबा 0.395 आरे भूमि का

विक्रय किया है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 9 जून 1978 में बेचने वाली श्रीमति सकराबाई श्रीमति पर्वत और खरीददार टटारी गुलाबराव के द्वारा खसरा नं. 367 रकबा 3.120 में से 0.775 आरे खसरा नं. 68 रकबा 0.194 आरे कुल रकबा 0.969 विक्रय किया गया है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 9 जून 1978 खरीददार धन्नू वल्द कालू पवार विक्रेता श्रीमति सकराई और श्रीमती पर्वत के द्वारा खसरा नं. 367 रकबा 3.120 में से 0.775 आरे भूमि विक्रय की है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 8 मार्च 2000, 2004 में विक्रेता गणपत केता टटारी और गुलाबराव मुन्नालाल खसरा नं. 367/1 रकबा 2.245 में से 0.809 आरे भूमि विक्रय की गई है।

16— इस प्रकार स्वयं वादी द्वारा वर्तमान के खसरा किश्तबंदी वर्ष 2014-15 के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण का विवादित भूमि में बटवांरा हो चुका है और प्रथक-प्रथक कब्जा है। साथ ही वादी के द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। वादी की भूमि पर प्रतिवादीगण कब्जे में है और प्रतिवादीगण की भूमि पर वादी कब्जे में है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला वादी के विरुद्ध निराकृत किया जाता है।

### सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिंदू

17— विचारणीय प्रश्न क्रं 1 से यह स्पष्ट हो चुका है कि विवादित भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण बटवांरा हो चुका है और प्रथक-प्रथक कब्जा है। ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो वादी की अपेक्षा प्रतिवादीगण को अपूर्णीय क्षति एवं असुविधा होगी, क्योंकि वह अपनी भूमि के उपभोग एवं उपयोग से वंचित हो जायेंगे। इस प्रकार सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी वादी के विरुद्ध निराकृत किया जाता है।

18— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिंदू भी वादी के विरुद्ध निराकृत किया गया है। ऐसी परिस्थिति में वादी की ओर से प्रस्तुत आदेश 39 नियम 1 व 2 सिविल प्रक्रिया संहिता का आवेदन निरस्त किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर कम्प्यूटर पर टंकित किया गया।

(धनकुमार कुडोपा)  
सिविल न्यायाधीश वर्ग-2  
आमला जिला बैतूल म.प्र.

(धनकुमार कुडोपा)  
सिविल न्यायाधीश वर्ग-2  
आमला जिला बैतूल म.प्र.